



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 890) पटना सोमवार 27 जुलाई 2026

सं० 04/ईको टूरिज्म-01/2026/658—प.व.ज.प.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प
2 फरवरी 2026

विषय :— “बिहार इको-टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी” के गठन हेतु संगम ज्ञापन (Memorandum of Association) एवं उप नियम (Bye-Laws)—2026 की स्वीकृति।

बिहार में इको-टूरिज्म एवं प्रकृति आधारित पर्यटन परिसम्पत्तियों का विकास एवं संचालन, सतत् एवं संरक्षण-केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ किया जाना आवश्यक है, ताकि पर्यटन विकास को वनों, वन्यप्राणियों एवं जैव-विविधता के संरक्षण के साथ संतुलित किया जा सके। इसके साथ-साथ स्थानीय समुदायों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना, पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करना तथा सार्वजनिक एवं सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) मॉडल के माध्यम से पेशेवर रूप से प्रबंधित इको-टूरिज्म को सक्षम बनाना भी प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित है।

2. बिहार में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु सोसाइटी का गठन राज्य के सतत् विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह सोसाइटी राज्य में संरक्षण-केंद्रित दृष्टिकोण से इको-टूरिज्म और प्रकृति-आधारित पर्यटन का विकास एवं संचालन करेगी। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को पर्यावरणीय संतुलन के साथ जोड़ना है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके और पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता बनी रहे।

3. इस सोसाइटी के माध्यम से स्थानीय समुदायों की सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। साथ ही, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे पेशेवर रूप से प्रबंधित इको-टूरिज्म परियोजनाओं का विकास संभव होगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी एवं पर्यटन क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए आयाम खुलेंगे।

4. उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए “बिहार इको-टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी” के गठन हेतु संगम ज्ञापन **(Memorandum of Association)** एवं उप नियम **(Bye-Laws)**—2026 की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनका हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

5. “बिहार इको-टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी” के अन्तर्गत विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय शासी निकाय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में 09 सदस्यीय कार्यकारी निकाय का प्रावधान है।

6. “बिहार इको-टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी” के गठन हेतु संगम ज्ञापन **(Memorandum of Association)** एवं उप नियम **(Bye-Laws)**—2026 पर दिनांक—29.01.2026 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या—25 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं उसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार इको-टूरिज्म विकास सोसाइटी
उपविधियाँ (Bye-Laws), 2026

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ	1	
	(a)	इन उपविधियों को "बिहार इको-टूरिज्म विकास सोसाइटी उपविधियाँ, 2026" कहा जाएगा, जिन्हें आगे चलकर "उपविधियाँ" कहा जाएगा।
	(b)	ये उपविधियाँ बिहार में इको-पर्यटन के प्रबंधन एवं विकास हेतु सोसाइटी के सभी सदस्यों, संपत्तियों, गतिविधियों एवं लेन-देन पर लागू होंगी।
	(c)	ये उपविधियाँ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत "बिहार इको-टूरिज्म विकास सोसाइटी" के पंजीकरण की तिथि से प्रभावी होंगी।
परिभाषाएँ	2.	इन उपविधियों में, जबतक विषय या प्रसंग से कोई भिन्न आशय न निकलता हो,
	(i)	"अधिनियम" से अभिप्राय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या XXI, 1860) से है।
	(ii)	"अध्यक्ष" से अभिप्राय शासी निकाय के अध्यक्ष से है।
	(iii)	"मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।
	(iv)	"इको-पर्यटन" से अभिप्राय प्राकृतिक क्षेत्रों में पर्यावरण का संरक्षण करते हुए तथा स्थानीय समुदायों को समर्थन प्रदान करने वाला उत्तरदायी पर्यटन से है।
	(v)	"कार्यकारिणी समिति" से अभिप्राय शासी निकाय द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति से है।
	(vi)	"शासी निकाय" से अभिप्राय बिहार इको-टूरिज्म विकास सोसाइटी के शासी निकाय से है।
	(vii)	"सदस्य" से अभिप्राय सोसाइटी के सदस्य से है।
	(viii)	"परियोजना निदेशक" से अभिप्राय है, सोसाइटी का परियोजना निदेशक
	(ix)	"परियोजना पदाधिकारी" से अभिप्राय है, सोसाइटी का परियोजना पदाधिकारी।
	(x)	"सोसाइटी के नियम" से अभिप्राय है, बिहार इको टूरिज्म सोसाइटी का उप विधि।
	(xi)	"सचिव" से अभिप्राय है, सोसाइटी के कार्यकारिणी निकाय के सचिव।
	(xii)	"सोसाइटी" से अभिप्राय बिहार इको-टूरिज्म विकास सोसाइटी से है।
	(xiii)	"राज्य सरकार" से अभिप्राय बिहार सरकार से है।
	(xiv)	"उपाध्यक्ष" से अभिप्राय है, सोसाइटी के शासी निकाय के उपाध्यक्ष।
	(xv)	"वर्ष" से अभिप्राय है, अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के मार्च के दिन समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष।
		• जो शब्द यहाँ परिभाषित नहीं है, उनके अर्थ बिहार सामान्य उप वाक्य अधिनियम के अन्तर्गत उचित परिवर्तन सहित मान्य होंगे।
पंजीकृत कार्यालय	3	सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय पटना, बिहार में स्थित होगा अथवा बिहार राज्य के भीतर ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा, जैसा कि बिहार सरकार की स्वीकृति से शासी निकाय द्वारा निर्धारित किया जाए।

उप विधियों को अपनाने की तिथि क्षेत्राधिकार, उद्देश्य एवं लक्ष्य	4	ये उप विधियाँ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत बिहार इको-टूरिज्म विकास सोसाइटी के पंजीकरण की तिथि से प्रभावी होंगी। सोसाइटी का क्षेत्राधिकार बिहार राज्य का संपूर्ण क्षेत्र होगा।
	5	बिहार इको-टूरिज्म विकास सोसाइटी का उद्देश्य बिहार में इको-पर्यटन तथा प्रकृति-आधारित पर्यटन परिसंपत्तियों का सतत एवं संरक्षण-केंद्रित तरीके से विकास एवं संचालन करना है, ताकि पर्यटन विकास और वनों, वन्य जीवों एवं जैव विविधता के संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे, साथ ही सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा मिले, पर्यटकों के अनुभव में वृद्धि हो तथा सार्वजनिक एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से पेशेवर रूप से प्रबंधित इको-पर्यटन को सक्षम बनाया जा सके। सोसाइटी के उद्देश्य निम्न लिखित हैं:- (i) बिहार राज्य में इको टूरिज्म क्षमता की पहचान एवं सुविधाओं का विकास। (ii) बिहार के वन, वन्यप्राणियों, आर्द्रभूमि एवं प्राकृतिक क्षेत्रों में इको-टूरिज्म का सतत एवं जिम्मेदार तरीके से नियोजन, विकास, प्रचार, प्रबंधन एवं विनियमन करना। (iii) इको-लॉज, पर्यटन सुविधाएँ, व्याख्या केन्द्र एवं सम्बद्ध सुविधाओं सहित इको-टूरिज्म अवसंरचना का सृजन एवं प्रबंधन करना। (iv) समुदाय आधारित इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना एवं वन-आश्रित तथा स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना। (v) इको-टूरिज्म परियोजनाओं, योजनाओं एवं सार्वजनिक-निजीभागीदारी (PPP) पहलों के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। (vi) इको-टूरिज्म कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के प्रचार-प्रसार एवं विपणन का कार्य करना। (vii) पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता सुरक्षा एवं जलवायु-सहिष्णु पर्यटन विकास सुनिश्चित करना। (viii) इको-टूरिज्म में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, शोध एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना। (ix) सरकारी अनुदान, राजस्व, साझेदारियों एवं बाह्य सहायता के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाना। (x) बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना। (xi) इको-टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाले संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन करना एवं उनकी सदस्यता प्राप्त करना अथवा उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित होना। (xii) उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक सभी कार्य करना।
शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति	6	बिहार में इको-पर्यटन के प्रबंधन एवं विकास हेतु सोसाइटी के शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से किया जाएगा:-

A. शासी निकाय

1.	विकास आयुक्त-बिहार सरकार	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार	उपाध्यक्ष
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार	सदस्य

8.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
9.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
10.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
11.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
12.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
13.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
14.	मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, सरकार	सदस्य
15.	सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	सदस्य सचिव

B. कार्यकारी समिति (EC)

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
4.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार	सदस्य
5.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि., पर्यटन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
6.	कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार के नामित अधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्यून)	सदस्य
7.	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के नामित अधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्यून)	सदस्य
8.	वित्त विभाग, बिहार सरकार के नामित अधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्यून)	सदस्य
9.	सरकार द्वारा मनोनित सदस्य	सदस्य
10.	सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	सदस्य

सदस्यता	7	
	(i)	सरकार को अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, शासी निकाय/कार्यकारी समिति में नामित किसी भी सदस्य को किसी भी समय पद से हटाने की शक्ति होगी तथा उत्पन्न रिक्ति को भरने का अधिकार भी सरकार को होगा।
	(ii)	पदेन सदस्य अपने मूल पद पर नियुक्ति की अवधि तक समिति के सदस्य के रूप में पद धारण करेंगे।
	(iii)	गैर सरकारी सदस्य एक बार में तीन वर्षों की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। उन्हें सक्षम प्राधिकार द्वारा पुनः नामित किया जा सकता है।
	(iv)	राज्य सरकार समय-समय पर सरकार के किसी भी अधिकारी को सोसाइटी का सदस्य नामित कर सकती है।
पदेन सदस्यता की समाप्ति	8	जब कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के आधार पर समाज (सोसाइटी) का पदेन सदस्य बनता है, तो उस पद या नियुक्ति पर बने रहने की अवधि तक ही उसकी पदेन सदस्यता प्रभावी रहती है। जैसे ही वह व्यक्ति उक्त पद या नियुक्ति धारण करना बंद करता है, उसकी पदेन सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।

समिति या उसकी पदाधिकारी की गतिविधियों पर प्रतिबंध	9	समिति या उसकी कोई भी पदाधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करने, पदों पर देने, या किसी भी प्रकार से भूमि/परिसर/पूँजीगत संपत्ति, किसी कार्यालय या भवन, वन आदि जैसी बिहार इको-टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी की किसी भी संपत्ति के अधिकार, शीर्षक या कब्जे का हस्तांतरण करने के लिए सक्षम नहीं होगी। हालाँकि, सोसाइटी अनुबंध आधारित कर्मचारियों को संलग्न कर सकता है तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी सिविल निर्माण कार्य को करना, करवाना या अपने परिसरों का उपयोग कर सकता है।
---	---	--

पदाधिकारियों के अधिकार/कार्य	10	
	(i)	शासी निकाय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (i) शासी निकाय के अध्यक्ष शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और उनका संचालन करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, शासी निकाय के उपाध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्षता, कार्यभार संभालेंगे। (ii) शासी निकाय के अध्यक्ष को सोसाइटी के सभी कार्यों तथा पदाधिकारियों के कार्य संचालन पर पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के समग्र अधिकार प्राप्त होंगे। (iii) शासी निकाय के अध्यक्ष, विशेष इनपुट और विशेषज्ञता के लिए आवश्यक समझे जाने पर शासी निकाय के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को विशेष आमंत्रित के रूप में शासी निकाय की बैठकों में आमंत्रित कर सकते हैं।
	(ii)	कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (i) कार्यकारी समिति के लिए, इसी के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और उनकी अनुपस्थिति में इसी के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
	(iii)	शासी निकाय के सदस्य सचिव (i) शासी निकाय की बैठकों को आहूत करेंगे और कार्यवाही का विवरण (मिनट्स) अभिलिखित करेंगे।
	(iv)	कार्यकारी समिति के सचिव (i) सोसाइटी की सभी कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियाँ इसी के सचिव में निहित होंगी, जो सोसाइटी द्वारा निर्धारित गतिविधियों की योजना, क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगे। (ii) सचिव को सोसाइटी द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का भी पालन एवं निर्वहन करेंगे। (iii) सोसाइटी के निधियों (फंड्स) की समग्र जिम्मेदारी सचिव के पास होगी तथा वे सोसाइटी के बैंक खातों को खोलेंगे और संचालित करेंगे।
	(v)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (i) अनुमोदित व्यवस्था के अन्तर्गत सोसाइटी के क्रियाकलापों के सफल संचालन हेतु एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। सोसाइटी के सभी कार्यपालक एवं वित्तीय शक्ति सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी में निहित होंगे, जो सोसाइटी द्वारा निर्णित योजना क्रियाकलापों की योजना बनाने, उनका क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिम्मेवार होंगे। वे परियोजना निदेशक के माध्यम से बैंक में सोसाइटी का लेखा खोलवाने, उनका संचालन तथा निधि के प्रभार में रहेंगे।

शासी निकाय और कार्यकारी समिति के अधिकार एवं कार्य	11 (क)	शासी निकाय उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो अधिनियम या इन उप नियमों द्वारा सोसाइटी की शासी निकाय की बैठकों में किए जाने हेतु प्रदान की गई हैं। शासी निकाय के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:— (i) सोसाइटी द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए समग्र नीतिगत मार्ग दर्शन और रणनीतिक दिशा प्रदान करना। (ii) वार्षिक योजना, बजट तथा लेखा परीक्षित खातों को अनुमोदित और स्वीकृत करना। (iii) सोसाइटी के उद्देश्यों, नियमों एवं विनियमों का निर्माण, संशोधन तथा परिवर्तन करना, तथा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर समितियों का गठन करना। (iv) सोसाइटी के कर्मचारियों, समितियों एवं परामर्शदाताओं को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य सौंपना। (v) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना। (vi) कार्यकारी समिति द्वारा उठाए गए किसी भी अनिर्णीत प्रश्न को समाधान हेतु शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा।
	(ख)	शासी निकाय के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण तथा उपनियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन, कार्यकारी समिति के निम्नलिखित अधिकार एवं कार्य होंगे:— (i) सोसाइटी की संपत्तियों सहित निधियों का प्रबंधन करना। (ii) शुल्क, उपहार, दान आदि प्राप्त कर सोसाइटी के लिए धन एकत्र करना। (iii) सोसाइटी की ओर से तथा सोसाइटी के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति को स्वीकार करना। (iv) सोसाइटी की ओर से तथा सोसाइटी के लिए किसी भी समझौते में प्रवेश करना। (v) सोसाइटी के विरुद्ध किसी भी विधिक कार्यवाही का प्रतिरक्षा (डिफेंड) करना। (vi) शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति से सोसाइटी की किसी भी चल संपत्ति को बेचना, स्थानांतरित करना या अन्य किसी तरीके से निपटान करना। (vii) सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शुल्क एवं प्रभार (फीस एंड चार्जेज) लगाने तथा सोसाइटी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं (नियत अनुसार) के लिए वसूली करने का प्रस्ताव रखना। (viii) शासी निकाय की स्वीकृति के अधीन सेवाएँ प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों, तकनीकी समर्थन, परामर्शदाताओं, संस्थाओं को संलग्न एवं नियुक्त करना। (ix) पशु-देखभाल, संरक्षण एवं प्रजनन हेतु विनिमय कार्यक्रम, जन-जागरूकता तथा अनुसंधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठनों/संस्थाओं के साथ सहयोग करना। (x) शासी निकाय द्वारा प्रदान किए गए प्रत्यायोजन (डेलीगेशन) के अनुसार पूंजीगत प्रकृति के कार्यों को संपादित करना। (xi) सोसाइटी के कार्यों एवं व्यवसाय के सुचारु प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी कार्यों को करना तथा ऐसे सभी कार्यवाही करना जो आवश्यक हों। (xii) सोसाइटी या उसके अधिकारियों के विरुद्ध अथवा उनके संबंध में किसी भी विधिक कार्यवाही का संस्थापन, संचालन, निपटारा या परित्याग करना तथा सोसाइटी द्वारा देय या सोसाइटी के विरुद्ध किसी भी दावे अथवा मांग के भुगतान अथवा निपटान हेतु समय प्रदान करना तथा किसी भी विवाद को मध्यस्थता (arbitration) के लिए भेजना तथा उस पर दिए गए निर्णय, एवार्ड का पालन करना। (xiii) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं आदेश जारी करना। (xiv) सोसाइटी के वार्षिक/त्रैमासिक कार्यक्रम, कार्य योजना एवं परियोजना प्रस्तावों की सम्यक जाँच करना तथा अनुमोदन करना।

सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की शक्ति एवं कार्य	12 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)	सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सोसाइटी के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। परियोजना निदेशक के सहायता से वे सोसाइटी के क्रियाकलापों को प्रशासित करेंगे। वे वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे एवं कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के उन अवयवों को शासी निकाय की अगली बैठक में अनुमोदित कराया जायेगा। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शासी निकाय और कार्यकारी समिति के सभी निर्णयों, निर्देशों और आदेशों का पालन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। वह समिति की ओर से और समिति के नाम पर सभी पत्राचार प्राप्त/करेंगे। वह समिति के लिए प्राप्त होने वाले सभी अंशदान/अनुदान, उपहार, दान या अन्य निधियाँ प्राप्त करेंगे तथा उन्हें समिति के बैंक खाते में जमा करेंगे और उनके लिए विधिवत रसीदें जारी करेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को समिति के सभी संसाधनों, परिसंपत्तियों, संपत्तियों और जायदादों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का अधिकार होगा। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी परियोजना निदेशक के सहायता से इको टूरिज्म स्थलों के विकास एवं प्रबंधन के सभी कार्यों का निष्पादन करेंगे। परियोजना निदेशक के प्रस्ताव के अनुसार सोसाइटी के लेखा से धन निकासी एवं वित्तीय लेन-देन का अनुमोदन करेंगे। समिति के लक्ष्य, उद्देश्यों एवं नियमों के अनुरूप कार्यों का निष्पादन, प्रशासन एवं प्रबंधन का दायित्व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का होगा। वे सोसाइटी के कार्यों वित्तीय स्थिति एवं बजट से संबंधित वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति को समर्पित करेंगे। वे अधिनियम की धारा-4 समय-समय पर यथा संशोधित अन्तर्गत वाँछित अभिलेख रजिस्ट्रार सोसाइटी को दाखिल करेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के उक्त सभी कार्य परियोजना निदेशक की सहायता से किये जायेंगे।
परियोजना निदेशक की शक्ति एवं कार्य	13 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)	सोसाइटी के कार्यकारणी समिति एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये सभी प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य कार्य परियोजना निदेशक की सहायता से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की सहमति/अनुमोदन से सोसाइटी की ओर से सभी अनुबंधों पर परियोजना निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। परियोजना निदेशक वाँछित वैधानिक रिटर्न, विवरणी एवं सावधि लेखा के अनुपालन की व्यवस्था करेंगे। परियोजना निदेशक, शासी निकाय एवं कार्यकारणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निमित्त सोसाइटी के कार्यों, वित्तीय स्थिति एवं बजट से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। परियोजना निदेशक सभी न्यायिक, अर्द्ध-न्यायिक कार्यवाहियों एवं मामलों में सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करेंगे एवं इसकी ओर से एवं इसके बदले कार्य करेंगे तथा उनको एवं सोसाइटी को किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने हेतु उन्हें अधिवक्ता को अनुबंधित करने की शक्ति होगी। परियोजना निदेशक वित्तीय नियमों के तहत यथा वाँछित सोसाइटी के लेखा-पुस्तों एवं अभिलेखों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे।

	(vii)	सोसाइटी की ओर से सभी अनुबंधों, करारों एवं अन्य तंत्रों को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की सहमति/अनुमोदन से परियोजना निदेशक द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
	(viii)	परियोजना निदेशक सभी क्षेत्रीय कार्यों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
	(ix)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सौंपा गया/प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य।
परियोजना पदाधिकारियों की शक्ति एवं कार्य	14 (i)	प्रमंडल स्तर पर सोसाइटी के सभी कार्यों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित सभी वन प्रमंडल के वन प्रमंडल पदाधिकारी परियोजना पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
	(ii)	स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार वन विभाग के क्षेत्रीय इकाईयों के माध्यम से सारे कार्यों के निष्पादन हेतु परियोजना पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे।
	(iii)	परियोजना पदाधिकारी वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत यथा वांछित लेखा-पुस्तो/अभिलेखों एवं उपयोगिता प्रतिवेदन को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे।
	(iv)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सौंपा गया/प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य।
सोसाइटी की बैठक	15	
	(i)	शासी निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी। कार्यकारी समिति की बैठक कम से कम प्रत्येक तीन (3) माह में एक बार आयोजित की जाएगी।
	(ii)	वित्तीय वर्ष में शासी निकाय की पहली बैठक ऐसी तिथि पर आयोजित की जाएगी जो 30 जून से बाद की न हो, जिसमें सोसाइटी के अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाएंगे :- (i) समिति की पिछली वर्ष की गतिविधियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस वर्ष की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। (ii) पिछले वर्ष से संबंधित आय-व्यय, प्राप्ति-भुगतान खाते तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन, एवं (iii) चालू वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।
	(iii)	शासी निकाय और कार्यकारिणी समिति की बैठकों की तिथि और समय संबंधित अध्यक्ष से परामर्श कर सचिव द्वारा निर्धारित की जाएगी।
	(iv)	किसी भी बैठक को आहूत करने के लिए कम से कम सात दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। तथापि, किसी अत्यावश्यक बैठक को कम अवधि की सूचना पर भी बुलाया जा सकता है। डाक, ई-मेल अथवा किसी भी अन्य डिजिटल माध्यम से सूचना देने को विधिवत सूचना माना जाएगा।
	(v)	शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी एवं उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष की सहमति से शासी निकाय के उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जायेगी। इसी प्रकार कार्यकारी समिति की बैठक के मामले में अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जायेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष की सहमति से कार्यकारी समिति के उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जायेगी।
गणपूर्ति	16	किसी बैठक का गणपूर्ति उस निकाय के कुल सदस्यों की संख्या के न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से पूर्ण होगा, बशर्ते कि संबंधित निकाय के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष बैठक में उपस्थित हों।
अध्यक्ष के आपात अधिकार	17	इन उपविधियों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अध्यक्ष को आपातकालीन परिस्थितियों में, सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, सोसाइटी के अधिकारों का प्रयोग करने से रोक सके, और की गई कार्रवाई की सूचना सोसाइटी को आम निकाय की अगली बैठक में दी जाएगी।

बैठकों की कार्यवाही	18	(i) सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि शासी निकाय/कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक की कार्य वृत्त एक रजिस्टर में दर्ज की जाए, जिसे संबंधित अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाए, तथा यह रजिस्टर सचिव की अभिरक्षा में रहेगा। (ii) सभी विवादित प्रश्न बहुमत के मतदान से निपटाए जाएंगे। प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होगा, और मतों की संख्या समान होने की स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक अतिरिक्त मत (casting vote) का अधिकार होगा। (iii) बैठक की कार्यवाही सभी सदस्यों को परिचारित की जाएगी।
परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी	19	सामान्यतः कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित शर्तों एवं विषयों के अनुसार सोसाइटी के सभी कार्य स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार वन विभाग के क्षेत्रीय इकाईयों के माध्यम से कार्यान्वित किये जायेंगे। हालाँकि, जब आवश्यक हो परियोजना सीधे सोसाइटी अथवा अन्य एजेंसियों यथा पर्यटन विभाग, केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपक्रमों, वन समितियों, स्थानीय निकायों, स्वयं सहायता समूहों द्वारा कार्यान्वित किये जा सकेंगे।
निधि और परिसंपत्तियाँ	20	(i) सोसाइटी की सभी चल एवं अचल निधि तथा संपत्तियाँ शासी निकाय में निहित होंगी। सोसाइटी की निधि निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होगी : (i) सरकारी/अर्ध-सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं/व्यक्तियों/समितियों/समूहों/न्यासों/फाउंडेशनों/सीएसआर निधियों/अन्य वित्तीय संस्थानों आदि से प्राप्त अनुदान/उपहार/दान/कोष/पूँजी। (ii) ईको पर्यटन गतिविधियों से उत्पन्न समस्त राजस्व (जैसे कि टिकट शुल्क, विभिन्न उपयोगकर्ता शुल्क, सुविधाओं के टेंडर/निविदा की आय, दंड, नीलामी, किराया शुल्क, वन्यजीव गोद लेने से प्राप्त आय, विभिन्न वस्तुओं की बिक्री, लाइसेंस शुल्क, तथा उपयोगकर्ताओं या आगंतुकों पर लगाए गए अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क आदि)। (iii) निवेशों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय। (ii) सोसाइटी द्वारा या सोसाइटी की ओर से प्राप्त सभी धन राशि सोसाइटी के नाम से डाकघर या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जाने वाले एक या अधिक बचत खातों में जमा की जाएगी। बैंक खाते का संचालन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, सोसाइटी के वित्त अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से, शासी निकाय द्वारा समय समय पर निर्धारित की जानेवाली सीमाओं के भीतर किया जाएगा। (iii) सोसाइटी के उद्देश्य हेतु जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, ऐसी सभी धन राशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) के रूप में या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 तथा सार्वजनिक निधियों के निवेश को विनियमित करने वाले किसी अन्य लागू कानून द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। (iv) सोसाइटी अपने पंजीकृत कार्यालय में उपयुक्त लेखा पुस्तकें रखेगी, जिनमें निम्नलिखित प्रविष्टियाँ सटीक रूप से दर्ज की जाएँगी : i) सोसाइटी द्वारा प्राप्त सभी धन राशि, उनके स्रोत सहित, तथा सोसाइटी द्वारा व्यय की गई सभी धन राशि और वे उद्देश्य या प्रयोजन जिनके लिए उक्त धन राशि व्यय की गई है। ii) सोसाइटी की परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ।
लेखा परीक्षण	21	सोसाइटी के वार्षिक खातों का लेखा परीक्षण शासी निकाय द्वारा नियुक्त किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रतिष्ठित फर्म से कराया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इसका लेखा परीक्षण महालेखाकार, बिहार द्वारा भी किया जा सकता है।

केन्द्र और राज्य सरकार के निर्देश	22	सोसाइटी भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन करेगी। सोसाइटी भारत सरकार या राज्य सरकार को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर प्रतिवेदन, प्रतिवेदन पत्र, विवरण तथा अन्य जानकारी उपलब्ध कराएगी।
वाह्य मूल्यांकन (External Evaluation)	23	राज्य सरकार, आवश्यकता महसूस होने पर, उपयुक्त मानी जाने वाली एजेंसियों के माध्यम से सोसाइटी के कार्य निष्पादन का वाह्य मूल्यांकन (External Evaluation) करा सकती है।

क्षतिपूर्ति (Indemnity)	24	अधिनियम की धारा 10 और 11 के प्रावधानों के अधीन, सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य, कर्मचारी तथा अभिकर्ता (एजेंट) किसी भी कार्यवाही चाहे वह सिविल हो या आपराधिक के संबंध में, जो सोसाइटी के कार्यों से संबंधित और प्रासंगिक आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी कार्य से उत्पन्न हो, उसका प्रतिरक्षा करते हुए उस पर आने वाली किसी भी लागत, व्यय या दायित्व से क्षतिपूर्ति (Indemnified) किया जाएगा।
विघटन (Dissolution)	25	(i) सोसाइटी का विघटन, 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 और 14 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। (ii) विघटन के उपरान्त, सभी देन दारियों और दायित्वों की पूर्ति कर लेने के बाद यदि सोसाइटी की कोई संपत्ति, परिसंपत्तियाँ या निधि शेष रहती है, तो उसे सोसाइटी के किसी सदस्य या सदस्यों में वितरित या भुगतान नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले तरीके से राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।
संशोधन (Amendment)	26	शासी निकाय की अनुशंसा पर, राज्य सरकार, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे जाने पर, समय-समय पर उपयुक्त प्रस्ताव पारित कर के सोसाइटी के उद्देश्यों, नियमों तथा विनियमों को बना, परिवर्तित तथा संशोधित कर सकती है।

घोषणा

हम, बिहार इको-टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी, बिहार के शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य, यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त विवरण उक्त सोसाइटी के ज्ञापन (Memorandum) एवं उपविधियों (Bye-laws) की सच्ची प्रति है, तथा यह भी प्रमाणित करते हैं कि इसी नाम और इसी स्थान पर कोई अन्य सोसाइटी अस्तित्व में नहीं है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक बिहार सरकार, पटना।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) बिहार सरकार, पटना।	अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
--	---	--

समिति के तीन अन्य सदस्य:

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार
2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

दिनांक/...../2026

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार इको-पर्यटन विकास सोसायटी का संगम ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन)

समिति का नाम	1.	इस संस्था का नाम बिहार इको-टूरिज्म विकास समिति होगा जिसे आगे "समिति" कहा जायेगा।
कार्य संचालन का क्षेत्र	2.	संस्था का कार्यक्षेत्र बिहार राज्य का संपूर्ण क्षेत्र रहेगा, बिहार सरकार की पूर्व स्वीकृति से समिति बिहार राज्य के बाहर भी कार्य कर सकती है, बशर्ते ऐसी गतिविधियाँ समिति के उद्देश्यों से संबंधित हो।
कार्यालय स्थान	3	समिति का कार्यालय बिहार राज्य के पटना में होगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे राज्य में कहीं और एक या अधिक अधीनस्थ कार्यालय शाखाएँ स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी।
लक्ष्य एवं उद्देश्य	4	बिहार इको-टूरिज्म विकास सोसाइटी का उद्देश्य बिहार में पर्यावरण-पर्यटन एवं प्रकृति आधारित पर्यटन संपत्तियों को टिकाऊ और संरक्षण-केन्द्रित तरीके से विकसित एवं संचालित करना है, जिसमें पर्यटन विकास को वनों, वन्यप्राणियों और जैव विविधता के संरक्षण के साथ संतुलित किया जाता है, साथ ही सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के मॉडल के माध्यम से पेशेवर रूप से प्रबंधित इको-टूरिज्म को सक्षम बनाना। सोसाइटी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:- (i) बिहार राज्य में इको टूरिज्म क्षमता की पहचान एवं सुविधाओं का विकास। (ii) बिहार के वन, वन्यप्राणियों, आर्द्रभूमि एवं प्राकृतिक क्षेत्रों में इको-टूरिज्म का सतत एवं जिम्मेदार तरीके से नियोजन, विकास, प्रचार, प्रबंधन एवं विनियमन करना। (iii) इको-लॉज, पर्यटन सुविधाएँ, व्याख्या केन्द्र एवं सम्बद्ध सुविधाओं सहित इको-टूरिज्म अवसंरचना का सृजन एवं प्रबंधन करना। (iv) समुदाय आधारित इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना एवं वन-आश्रित तथा स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना। (v) इको-टूरिज्म परियोजनाओं, योजनाओं एवं सार्वजनिक-निजीभागीदारी (PPP) पहलों के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। (vi) इको-टूरिज्म कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के प्रचार-प्रसार एवं विपणन का कार्य करना। (vii) पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता सुरक्षा एवं जलवायु-सहिष्णु पर्यटन विकास सुनिश्चित करना। (viii) इको-टूरिज्म में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, शोध एवं जागरूकता कार्य क्रम संचालित करना। (ix) सरकारी अनुदान, राजस्व, साझेदारियों एवं बाह्य सहायता के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाना। (x) बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना। (xi) इको-टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाले संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन करना एवं उनकी सदस्यता प्राप्त करना अथवा उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित होना। (xii) उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक सभी कार्य करना।

कार्यों का दायरा	5	बिहार इको-टूरिज्म विकास सोसाइटी, बिहार राज्य में इको-टूरिज्म एवं प्रकृति-आधारित पर्यटन पहलों का सतत, समावेशी एवं पर्यावरण-संवेदनशील तरीके से नियोजन, विकास, प्रचार एवं प्रबंधन करेगी, ताकि संरक्षण, सामुदायिक आजीविका एवं सांस्कृतिक विरासत को समर्थन मिल सके। इको-पर्यटन का विकास एवं संचालन (क) बिहार राज्य में इको-पर्यटन तथा प्रकृति-आधारित पर्यटन सुविधाओं का नियोजन, विकास, स्थापना, संचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण करना, जिनमें इको-लॉज, जंगल लॉज, नेचर कैम्प, वाइल्ड रनेसरिसोर्ट, व्याख्या केंद्र तथा अन्य संबद्ध आवास एवं पर्यटक सुविधाएँ शामिल हैं। ये गतिविधियाँ वन क्षेत्रों, वन्यजीव आवासों एवं अन्य प्राकृतिक परिदृश्यों में अथवा उनके आसपास, लागू कानूनों एवं नियमों के अनुसार संचालित की जाएंगी, ताकि पर्यटकों को प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का अनुभव, सराहना एवं उससे जुड़ाव प्राप्त हो, साथ ही संरक्षण, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव एवं जिम्मेदार पर्यटक प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। (ख) प्रकृति, वन्यजीव एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियाँ प्रकृति-आधारित, वन्यजीव एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों का नियोजन, प्रचार, संचालन एवं प्रबंधन करना, जिनमें मार्गदर्शित सफारी, नेचर ट्रेल्स, ट्रेकिंग, हाइकिंग, नदी एवं झील आधारित पर्यटन, पक्षी अवलोकन, पर्यावरणीय व्याख्या कार्यक्रम, कैंपिंग एवं अन्य बाह्य अनुभवात्मक गतिविधियाँ शामिल हैं, जो सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुमत हों तथा लागू वन एवं वन्यप्राणी तथा पर्यावरण-संबंधी कानूनों के अनुरूप हों। (ग) संरक्षण एवं पर्यावरणीय सततता: वनो, वन्यजीवों, जैवविविधता एवं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, सुरक्षा एवं सतत प्रबंधन को बिहार सरकार एवं अन्य सक्षम प्राधिकारों के साथ प्रत्यक्षा या प्रोक्ष रूप से समन्वय कर समर्थन देना, बढ़ावा देना एवं उसमें योगदान करना पर्यावरण-उत्तरदायी, कम प्रभाव वाली एवं जलवायु-संवेदनशील पर्यटन पद्धतियों को अपनाना एवं लागू करना तथा इको-अनुकूल, संसाधन-कुशल एवं सतत पर्यटन अवसंरचना, सुविधाओं एवं सेवाओं का नियोजन, विकास, स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण करना। इसमें स्थानीय सामग्री, पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय वास्तुकला, स्थानीय कौशल, कारीगरों, उद्यमियों एवं सामुदायिक सहभागिता को यथोचित प्राथमिकता दी जाएगी। (घ) सामुदायिक सहभागिता एवं आजीविका विकास स्थानीय समुदायों, वन-सीमा से जुड़े निवासियों, स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय संस्थाओं को रोजगार, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, उद्यमिता तथा इको-पर्यटन एवं संबद्ध सेवाओं से जुड़ी आजीविका के अवसर प्रदान कर, समुदाय-आधारित इको-पर्यटन को बढ़ावा देना। (ङ) पर्यटन सुविधा, यात्रा एवं पर्यटक-सेवाएँ: पर्यटक प्रबंधन, भ्रमण-संचालक एवं ऐसी अन्य सेवा प्रदाता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना एवं सुगम बनाना :- • सभी प्रकार के टिकटों की बुकिंग, निर्गमन, वाउचर जारी करना, आरक्षण करना तथा उनकी पुष्टि करना। ये सेवाएँ ऑन-लाईन अपेक्षित होंगी। • सक्षम वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक लाइसेंस एवं अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन, बैंकिंग सेवाओं, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा मुद्रा-विनियमन सुविधाओं की व्यवस्था, सुविधा प्रदान करना या संचालन करना। • होटल, लॉज तथा अन्य आवासीय सुविधाओं के आरक्षण एवं व्यवस्था करना, जिसमें स्लीपिंग कार, बर्थ आदि जैसी सुविधाएँ सम्मिलित हों, जो जहाँ तक अनुमान्य हो। • गाइड की व्यवस्था करना, दर्शनीय स्थलों के भ्रमण कार्यक्रम, जल क्रीड़ा गतिविधि, साहसिक गतिविधियों, पर्वतारोहण तथा प्रकृति-आधारित अनुभवों का आयोजन करना। • लागू कानूनों के अधीन, मनोरंजन पार्को, वेलनेस एवं स्वास्थ्य-आधारित पर्यटन सुविधाओं तथा उनसे संबद्ध आगतुक सुविधाओं का विकास, संचालन या सुविधा प्रदान करना। • पूछताछ कार्यालय (इन्क्वायरी ब्यूरो), पर्यटक सूचना केंद्र, प्रकृति-पुस्तकालय, प्राकृतिक पठन कक्ष, प्रतीक्षालय एवं विश्राम कक्ष महिलाओं, बच्चों एवं निःशक्त जनों के लिए समर्पित सेवा की स्थापना एवं संचालन करना। उपरोक्त सभी कार्य प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधिकृत एजेंटों, भागीदारों या सहभागियों के माध्यम से, तथा पूर्णतः लागू कानूनों, नियमों, सुरक्षा मानकों एवं आवश्यक नियामक अनुमोदनों के अनुरूप किए जाएंगे। (च) अनुभवनात्मक एवं नवोन्मेषी इको-पर्यटन गतिविधियाँ: लागू कानूनों, सुरक्षा मानकों तथा सक्षम विमानन, अंतरिक्ष, रक्षा अथवा अन्य वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन, स्वतंत्र रूप से अथवा अधिकृत एजेंसियों के सहयोग से, जॉय राइड्स, साहसिक अनुभवों अथवा इमर्सिव आकर्षणों सहित
-------------------------	----------	--

		हवाई, ऊँचाई पर आधारित अथवा प्रौद्योगिकी-सक्षम पर्यटन अनुभवों जैसी नवोन्मेषी एवं अनुभवनात्मक इको-पर्यटन गति विधियों की परिकल्पना करना, उनका प्रचार-प्रसार करना तथा उन्हें सुगम बनाना (छ) परामर्श, कंसल्टेंसी एवं परियोजना कार्यान्वयन: भारत के भीतर, बिहार सरकार तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए इको-पर्यटन योजना, परियोजना विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, अध्ययन तथा सतत इको-पर्यटन पहलों से संबंधित विषयों में एक कार्यान्वयन, परामर्श एवं सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करना। (ज) सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं सहयोग: पर्यावरणीय पर्यटन (इको-टूरिज्म) एवं प्रकृति-आधारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP), संयुक्त उपक्रम अथवा अन्य सहयोगात्मक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करना, संरचना तैयार करना, क्रियान्वयन करना एवं प्रबंधन करना, इस शर्त के साथ कि वन भूमि का स्वामित्व तथा नियामक अधिकार राज्य सरकार एवं सक्षम प्राधिकारियों के पास ही सुरक्षित रहें। (झ) विरासत, संस्कृति, प्रदर्शनी एवं कार्यक्रमों का संवर्धन: राज्य की विरासत, कला, संस्कृति एवं परंपराओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनके प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से जिसमें बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कलात्मक, तकनीकी, शैक्षणिक एवं समाज-शास्त्रीय उपलब्धियाँ सम्मिलित हैं, राज्य के भीतर तथा अन्य स्थानों पर प्रदर्शनियों, मेलों, उत्सवों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं उनसे संबंधित गतिविधियों का आयोजन, प्रचार, विकास, प्रबंधन एवं संचालन करना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी शामिल होंगे:- i) प्रदर्शनियों, मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा इको-पर्यटन पहलों के माध्यम से बिहार की मूर्त एवं अमूर्त विरासत, कला रूपों, हस्तशिल्प, परंपराओं, इतिहास, साहित्य तथा सामाजिक विकास का प्रचार-प्रसार एवं प्रस्तुतीकरण करना। ii) राज्य स्तरीय तथा वार्षिक कार्यक्रमों सहित सभी प्रकार के आयोजनों जैसे प्रदर्शनियों, मेले, उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यापार मेले, कॉर्पोरेट कार्यक्रम एवं सामाजिक समारोहों की योजना बनाना, आयोजन करना, प्रबंधन करना एवं क्रियान्वयन करना। iii) प्रदर्शनियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित अवसंरचना का विकास, प्रबंधन एवं संचालन करना, जिसमें प्रदर्शनी स्थल, मेलापरिसर, सम्मेलन स्थल, प्रदर्शनी हॉल, स्टॉल, दुकानें, फूडकोर्ट, प्रस्तुति क्षेत्र, मनोरंजन सुविधाएँ तथा संबद्ध आगंतुक सुविधाएँ शामिल हैं। iv) प्रदर्शनियों, मेलों और कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यटन, व्यापार, वाणिज्य तथा स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देना, जिससे आगंतुकों की संख्या बढ़े और स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं का प्रचार-प्रसार हो। (ञ) इको-पर्यटन एवं संरक्षण हेतु जागरूकता, शिक्षा एवं क्षमता निर्माण: प्रकृति संरक्षण, जैव-विविधता, पारिस्थितिक संतुलन तथा उत्तरदायी एवं संवेदनशील इको-पर्यटन के सिद्धांतों के संबंध में आगंतुकों, स्थानीय समुदायों, हितधारकों एवं सेवाप्रदाताओं के बीच जागरूकता, शिक्षा एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत व्याख्या केंद्रों (इंटरप्रीटेशन सेंटर्स), प्रकृति शिक्षा कार्यक्रमों, मार्गदर्शित अनुभवों, जनसंपर्क गतिविधियों तथा प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव एवं स्थानीय संस्कृतियों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करना तथा सतत एवं जिम्मेदार इको-पर्यटन प्रथाओं को सुनिश्चित करना।						
शासी निकाय के प्रथम सदस्य	6.	सोसायटी के नियमों एवं विनियमों के अनुसार, सोसायटी के कार्यों एवं मामलों के प्रबंधन का दायित्व जिन सोसायटी के शासी निकाय के प्रथम सदस्यों को सौंपा गया है, उनके नाम, पते, व्यवसाय तथा पदनाम, जैसा कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 2 के अंतर्गत अपेक्षित है, निम्नलिखित हैं :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र० सं०</th><th>नाम/पद</th><th>शासी निकाय में स्थिति</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>विकास आयुक्त-बिहार सरकार</td><td>अध्यक्ष</td></tr> </tbody> </table>	क्र० सं०	नाम/पद	शासी निकाय में स्थिति	1	विकास आयुक्त-बिहार सरकार	अध्यक्ष
क्र० सं०	नाम/पद	शासी निकाय में स्थिति						
1	विकास आयुक्त-बिहार सरकार	अध्यक्ष						

		2 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार उपाध्यक्ष 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) सदस्य 4 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार सदस्य 5 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार सदस्य 6 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार सदस्य 7 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार सदस्य 8 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार सदस्य 9 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार सदस्य 10 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार सदस्य 11 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार सदस्य 12 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार सदस्य 13 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार सदस्य 14 मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार सदस्य शासी निकाय के तीन सदस्यों द्वारा सत्यापित सोसाइटी के नियमों की एक प्रति इस समझौता ज्ञापन (Memorandum of Association) के साथ संलग्न कर दाखिल की जाती है।
घोषणा	7.	हम, जिनके नाम एवं पते नीचे दिये गए हैं, इस समझौता पत्र में वर्णित उद्देश्यों के लिए स्वयं को संबद्ध करते हुए, समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत इस समिति के गठन हेतु अपने-अपने हस्ताक्षर दिनांक दिन माह..... वर्ष 2026 को किये हैं।

क्र० सं०	नाम	व्यवसाय एवं पता	सोसाइटी में पद	हस्ताक्षर	सत्यापित हस्ताक्षर
1	श्री मिहिर कुमार सिंह, (आई.ए.एस.)	विकास आयुक्त—बिहार सरकार	अध्यक्ष		
2	श्री अरविन्द कुमार चौधरी, (आई.ए.एस.)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार	सदस्य		
3	श्री आनन्द किशोर, (आई.ए.एस.)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य		
4	श्री आनन्द किशोर, (आई.ए.एस.)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार	सदस्य		
5	श्री प्रभात कुमार गुप्ता, (आई.एफ.एस.)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)	सदस्य		
6	श्री सी०के० अनिल, (आई.ए.एस.)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार	सदस्य		
7	श्री संतोष कुमार मल्ल, (आई.ए.एस.)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य		
8	श्री विनय कुमार, (आई.ए.एस.)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार	सदस्य		
9	श्री पंकज कुमार पाल (आई.ए.एस.)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार	सदस्य		
10	श्री देवेश सेहरा (आई.ए.एस.)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार	सदस्य		
11	श्री प्रणव कुमार (आई.ए.एस.)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार	सदस्य		
12	श्री मनोज कुमार सिंह, (आई.ए.एस.)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार	सदस्य		
13	डा० निलेश रामचन्द्र देवरे, (आई.ए.एस.)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य		
14	श्री अभय कुमार, (आई.एफ.एस.)	मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य		

दिनांक:

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Memorandum of Association For Bihar Eco-Tourism Development Society

Name of the Society	1.	The name of the Society shall be Bihar Eco-Tourism Development Society hereinafter referred to as "the Society".
The Area of operation	2.	The area of operation of the Society shall extend to the entire State of Bihar. The Society may also operate outside the State of Bihar with the prior approval of the Government of Bihar, where such activities relate to the objectives of the Society.
Location	3.	The Society shall have its office at Patna in the State of Bihar with liberty for it to establish one or more subordinate offices or outlets elsewhere in the country, if so required.
Aim and Objectives	4.	The aim of Bihar Ecotourism Development Society is to develop and operate eco-tourism and nature-based tourism assets in Bihar in a sustainable and conservation-centric manner, balancing tourism development with protection of forests, wildlife and biodiversity, while promoting community participation, enhancing visitor experience and enabling professionally managed eco-tourism through Public, Public-Private and other methods. The objectives of the society are: - To identify ecotourism potential and development of ecotourism facilities in the state of Bihar. - To plan, develop, promote, manage and regulate eco-tourism in forest, wildlife, wetland and natural areas of Bihar in a sustainable, regenerative and responsible manner. - To create and manage eco-tourism infrastructure, including eco-lodges, visitor facilities, interpretation centres and allied amenities/activities. - To promote community-based eco-tourism and ensure livelihood opportunities for forest-dependent and local communities. - To act as a nodal agency for implementation of eco-tourism projects, schemes and Public-Private Partnership (PPP) initiatives. - To undertake the activities for publicity and marketing of the ecotourism programs and activities. - To ensure environmental conservation, biodiversity protection and climate-resilient tourism development. - To undertake capacity building, training, research and awareness programmes in eco-tourism. - To mobilise financial resources through government grants, revenues, partnerships and external assistance etc. - To coordinate with DEFCC, Tourism Department and other line departments of the Government of Bihar. - To enter into an agreement or MoU with the relevant international organizations dealing with ecotourism and to obtain membership or to participate in their programs. - To perform all such acts as may be incidental or conducive to the attainment of the above objectives.
Scope of functions	5.	The Bihar Ecotourism Development Society shall serve to plan, develop, promote and manage eco-tourism and nature-based tourism initiatives in the State of Bihar in a sustainable, inclusive and environmentally responsible manner, while enhancing visitor's experience, supporting conservation, community livelihoods and cultural heritage.

The scope of functions include:

(a) Eco-Tourism Development & Operations

To carry on the business of planning, development, establishment, operation, leasing, management and maintenance of eco-tourism and nature-based tourism facilities in the State of Bihar, including eco lodges, jungle lodges, nature camps, wilderness resorts, interpretation centres and other allied accommodation and visitor facilities, in or around forest areas, wildlife habitats and other natural landscapes, in accordance with applicable laws and regulations, with the objective of enabling visitors to experience, appreciate and connect with nature in its natural essence, while ensuring conservation, minimal ecological impact and responsible visitor management.

(b) Nature, Wildlife & Adventure Tourism Activities

To plan, promote, operate and manage nature-based, wildlife and adventure tourism activities, including but not limited to guided safaris, nature trails, trekking, hiking, riverine and lake-based tourism, bird watching, environmental interpretation programmes, camping and outdoor experiential activities, as permitted by competent authorities and in compliance with applicable laws.

(c) Conservation & Environmental Sustainability

To support, promote and contribute to the conservation, protection and sustainable management of forests, wildlife, biodiversity and natural ecosystems, and to adopt and implement environmentally responsible, minimal-impact and climate-sensitive tourism practices, and to plan, develop, establish, operate and maintain eco-friendly, resource-efficient and sustainable tourism infrastructure, facilities and services, giving due preference to local materials, traditional knowledge, vernacular architecture, local skills, artisans, entrepreneurs and community participation within the State of Bihar, directly or indirectly, in coordination with the Government of Bihar and other competent authorities.

(d) Community Participation & Livelihood Development

To promote community-based eco-tourism by engaging local communities, forest-fringe populations, self-help groups and local institutions through employment, training, capacity building, entrepreneurship and livelihood opportunities linked to eco-tourism and allied services.

(e) Tourism Facilitation, Travel & Visitor Services

To facilitate and provide conducive environment for tourist-management, tour-operators and such service providers:

- Ticketing of every kind, issuance of vouchers, reservations and confirmations (Preferably through IT Mode);
- provision, facilitation or arrangement of banking, foreign exchange and money changing facilities, subject to obtaining necessary licences and approvals from competent authorities;
- reservation and arrangement of hotel, lodge and other accommodation, including facilities such as sleeping cars or berths, where permissible;
- arrangement of guides, sightseeing programmes, water sports activities, adventure activities, mountaineering and nature-based experiences;

- development, operation or facilitation of amusement parks, wellness and health-related tourism facilities and allied visitor amenities, subject to applicable laws;
- establishment and operation of enquiry kiosks & support, nature libraries, nature-based recreation zones, reading rooms, waiting rooms, dedicated facilities for women, kids and physically challenged persons and rest rooms;

Above mentioned facilities/services will be either directly or through authorised agents, partners or concessionaires, and strictly in accordance with applicable laws, rules, safety standards and regulatory approvals.

(f) Experiential & Innovative Eco-Tourism Activities

To conceptualize, promote and facilitate innovative and experiential eco-tourism activities, including aerial, elevated or technology-enabled tourism experiences, such as hot air balloon, Paragliding, Parasailing, Para Lifting, Fly boarding etc joy rides, adventure experiences or immersive attractions, either independently or in collaboration with authorised agencies, strictly subject to applicable laws, safety standards and approvals from competent aviation, space, defence or other statutory authorities.

(g) Advisory, Consultancy & Project Implementation

To act as an implementing, advisory and facilitation agency for the Government of Bihar and other public authorities in matters relating to eco-tourism planning, project development, capacity building, training, research, studies and sustainable eco-tourism initiatives, within India.

(h) Public-Private Partnership & Collaboration

To conceptualise, structure, implement and manage public-private partnership (PPP), joint venture, leasing or other collaborative arrangements for eco-tourism and nature-based tourism projects, while ensuring that ownership of forest land and regulatory powers remain with the Government and competent authorities.

(i) Heritage, Culture, Exhibitions & Events Promotion

To organise, promote, develop, manage and conduct exhibitions, fairs, festivals, cultural events and allied activities for the purpose of popularising and projecting the heritage, art, culture and traditions of the State of Bihar, including its historical, cultural, literary, artistic, technological, educational and sociological achievements, within as well as outside the country.

Without limitation, this shall include:

- (i) projecting and propagating the tangible and intangible heritage, art forms, crafts, traditions, history, literature and social development of Bihar through exhibitions, fairs, cultural programmes and eco-tourism initiatives.
- (ii) planning, organising, managing and conducting events of all kinds, including state-level fairs, festivals, cultural programmes, trade shows, corporate events and social gatherings.
- (iii) developing, managing and operating exhibition and event infrastructure, including exhibition grounds, fairgrounds, convention spaces, exhibition halls, stalls, shops, food courts, performance areas, amusement facilities and allied visitor amenities.

(iv) facilitating tourism, trade, commerce and local enterprise through exhibitions, fairs and events, to enhance visitor footfall and promote local products and services.

(j) Awareness, Education and Capacity Building for Eco-Tourism and Conservation

To promote awareness, education and capacity-building among visitors, local communities, stakeholders and service providers regarding nature conservation, biodiversity, ecological balance and the principles of responsible and sensitive eco-tourism, including through interpretation centres, nature education programmes, guided experiences, outreach activities and training initiatives, so as to foster respect for natural ecosystems, wildlife and local cultures and to ensure sustainable and eco-tourism practices.

First
members of
the
Governing
Body

6. The names, addresses, occupations and designations of the First Members of the Governing Body of the Society to whom by the rules and regulations of the Society, the management of the affairs of the Society is entrusted as required under section 2 of the Societies Registration Act, 1860 are as follows –

Sl. No	Name/Designation	Status in Governing Body
1	Development Commissioner – Govt of Bihar	Chairperson
2	ACS/PS/Secretary- Environment, Forest & Climate Change Department, Government of Bihar	Vice-Chairperson
3	Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Bihar	Member
4	ACS/PS/Secretary, Home Department, Govt of Bihar	Member
5	ACS/PS/Secretary, Energy Department, Govt of Bihar	Member
6	ACS/PS/Secretary, Revenue & land Reforms Department, Govt of Bihar	Member
7	ACS/PS/Secretary, Urban Development & Housing Department, Govt of Bihar	Member
8	ACS/PS/Secretary, Tourism Department, Govt of Bihar	Member
9	ACS/PS/Secretary, Road Construction Department, Govt of Bihar	Member
10	ACS/PS/Secretary, Rural Works Department, Govt of Bihar	Member
11	ACS/PS/Secretary, Art and Culture Department, Govt of Bihar	Member

12	ACS/PS/Secretary, Water Resources Department, Govt of Bihar	Member
13	ACS/PS/Secretary, Finance Department, Govt of Bihar	Member
14	Chief Wildlife Warden, Department of Environment, Forest and Climate Change, Govt of Bihar	Member

A copy of the rules of Society certified to be a true copy by three members of the Governing Body is filed along with this Memorandum of Association.

Declaration 7. We, the several persons whose names and address are given below, having associated ourselves for the aims and objectives described in this Memorandum of Association do hereby subscribe our names to this memorandum of the Association and set out several and respective hands hereunto and for ourselves into a Society under the Societies Registration Act, 1860; on this day, the of, 2026.

Sl.	Name	Occupation and address	Status in Society	Signature	Signature Attested
1	Shri Mihir Kumar Singh, I.A.S.	Development Commissioner – Govt of Bihar	Chairperson		
2	Shri Arvind Kumar Chaudhary, I.A.S.	ACS/PS/Secretary, Home Department, Govt of Bihar	Member		
3	Shri Anand Kishore, I.A.S.	ACS/PS/Secretary- Environment, Forest & Climate Change Department, Government of Bihar	Vice-Chairperson		
4	Shri. Anand Kishor, I.A.S.	ACS/PS/Secretary, Finance Department, Govt of Bihar	Member		
5	Shri Prabhat Kumar Gupta, I.F.S	Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)	Member		
6	Shri. C K Anil, I.A.S.	ACS/PS/Secretary, Revenue & Land Reforms Department, Govt of Bihar	Member		
7	Shri. Santosh Kumar Mall, I.A.S.	ACS/PS/Secretary, Water Resources Department, Govt of Bihar	Member		
8	Shri Vinay Kumar, I.A.S.	ACS/PS/Secretary, Urban Development & Housing Department, Govt of Bihar	Member		

Sl.	Name	Occupation and address	Status in Society	Signature	Signature Attested
9	Shri. Pankaj Kumar Pal, I.A.S.	ACS/PS/Secretary, Road Construction Department, Govt of Bihar	Member		
10	Shri. Divesh Sehara, I.A.S.	ACS/PS/Secretary, Rural Works Department, Govt of Bihar	Member		
11	Shri. Pranav Kumar, I.A.S.	ACS/PS/Secretary, Art and Culture Department, Govt of Bihar	Member		
12	Shri Manoj Kumar Singh, I.A.S.	ACS/PS/Secretary, Energy Department, Govt of Bihar	Member		
13	Dr.Nilesh Ramchandra Deore, I.A.S.	ACS/PS/Secretary, Tourism Department, Govt of Bihar	Member		
14	Mr. Abhay Kumar, I.F.S.	Chief Wildlife Warden, Department of Environment, Forest and Climate Change, Govt of Bihar	Member		

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

**Bihar Eco-Tourism Development Society
Bye-Laws, 2026**

Short Title, Extent and Commencement	1 (a) (b) (c)	These bye-laws shall be called " Bihar Eco-Tourism Development Society Bye-laws, 2026", hereinafter referred to as 'Bye-laws'. These bye-laws shall apply to all the members, properties, activities and transactions of the Society for Management & Development of Eco-tourism in Bihar. These bye-laws shall come into force on the date of registration of the Society i.e. " Bihar Eco-Tourism Development Society" under the Societies Registration Act, 1860.
Definition	2. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)	In these Bye-laws, unless there is anything repugnant to the subject or context, "Act" means the Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860). "Chairperson" means the Chairperson of the Governing Body. "Chief Executive Officer" means Chief Executive Officer of the Society appointed by the State Government. "Eco-Tourism" means responsible tourism in natural areas conserving environment and supporting local communities. "Executive Committee" means the Executive Committee constituted by the Governing Body. "Governing Body" means the Governing Body of the Bihar Eco-Tourism Development Society. "Member" means a member of the Society. "Project Director" means the Project Director of the Society, "Project Officers" means the Project Officers of the Society, "Rules of the Society" means the Bye-laws of the Bihar Eco-Tourism Development Society, "Secretary" means the Secretary of the Executive Body of the society, "Society" means Bihar Eco-Tourism Development Society. "State Government" means the Government of Bihar. "Vice Chairperson" means the Vice Chairperson of the Governing Body of the society, "Year" means the financial year beginning with 1st day of April and ending on the 31st day of March of the following year. The Bihar General Clauses Act shall apply, mutatis mutandis, for definition of the terms, not defined herein with proper variance.
Registered Office	3	The Registered Office of the Society shall be situated at Patna, Bihar , or at such other place within the State of Bihar as may be decided by the Governing Body with the approval of the Government of Bihar.
Date of adoption of bye-laws and jurisdiction	4	These bye-laws shall come into force from the date of registration of the Bihar Eco-Tourism Development Society under the Societies Registration Act, 1860. The jurisdiction of the Society shall be the area of Bihar State.

Aims & Objectives	5	The aim of Bihar Ecotourism Development Society is to develop and operate eco-tourism and nature-based tourism assets in Bihar in a sustainable and conservation-centric manner, balancing tourism development with protection of forests, wildlife and biodiversity, while promoting community participation, enhancing visitor experience and enabling professionally managed eco-tourism through Public, Public-Private and other methods. The objectives of the society are: (a) To identify ecotourism potential and development of ecotourism facilities in the state of Bihar. (b) To plan, develop, promote, manage and regulate eco-tourism in forest, wildlife, wetland and natural areas of Bihar in a sustainable, regenerative and responsible manner. (c) To create and manage eco-tourism infrastructure, including eco-lodges, visitor facilities, interpretation centres and allied amenities/activities. (d) To promote community-based eco-tourism and ensure livelihood opportunities for forest-dependent and local communities. (e) To act as a nodal agency for implementation of eco-tourism projects, schemes and Public-Private Partnership (PPP) initiatives. (f) To undertake the activities for publicity and marketing of the ecotourism programs and activities. (g) To ensure environmental conservation, biodiversity protection and climate-resilient tourism development. (h) To undertake capacity building, training, research and awareness programmes in eco-tourism. (i) To mobilise financial resources through government grants, revenues, partnerships and external assistance etc. (j) To coordinate with DEFCC, Tourism Department and other line departments of the Government of Bihar. (k) To enter into an agreement or MoU with the relevant international organizations dealing with ecotourism and to obtain membership or to participate in their programs. (l) To perform all such acts as may be incidental or conducive to the attainment of the above objectives.
The Governing Body and Executive Committee	6	The Governing Body and Executive Committee of the Society for Management & Development of Eco-Tourism in Bihar shall be constituted with the following members:

A. Governing Body

1	Development Commissioner – Govt of Bihar	Chairperson
2	ACS/PS/Secretary- Environment, Forest & Climate Change Department, Government of Bihar	Vice-Chairperson
3	Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Bihar	Member
4	ACS/PS/Secretary, Home Department, Govt of Bihar	Member
5	ACS/PS/Secretary, Energy Department, Govt of Bihar	Member
6	ACS/PS/Secretary, Revenue and Land Reforms Department, Govt of Bihar	Member
7	ACS/PS/Secretary, Urban Development & Housing Department, Govt of Bihar	Member
8	ACS/PS/Secretary, Tourism Department, Govt of Bihar	Member
9	ACS/PS/Secretary, Road Construction Department, Govt of Bihar	Member
10	ACS/PS/Secretary, Rural Works Department, Govt of Bihar	Member
11	ACS/PS/Secretary, Art and Culture Department, Govt of Bihar	Member
12	ACS/PS/Secretary, Water Resources Department, Govt of Bihar	Member
13	ACS/PS/Secretary, Finance Department, Govt of Bihar	Member
14	Chief Wildlife Warden, Department of Environment, Forest and Climate Change, Govt of Bihar	Member
15	Chief Executive Officer of the Society	Member Secretary

B. Executive Committee (EC)

1	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary: Environment, Forest & Climate Change Department, Government of Bihar	Chairperson
2	Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Bihar	Vice-Chairperson
3	Chief Wildlife Warden, Department of Environment, Forest and Climate Change, Govt of Bihar	Member
4	APCCF (CAMP A)-cum-Nodal Officer (Forest Conservation)	
5	MD, BSTDC, Department of Tourism, Govt of Bihar	Member
6	Representative of Art and Culture Department, Govt of Bihar (<i>Not below rank of Joint</i>	Member

	<i>Secretary)</i>	
7	Representative of Water Resources Department, Govt of Bihar (<i>Not below rank of Joint Secretary</i>)	Member
8	Representative of Finance Department, Govt of Bihar (<i>Not below rank of Joint Secretary</i>)	Member
9	Chief Executive Officer of the Society	Secretary

Membership	7 (a) (b)	The Government shall have, in its absolute discretion, the power to remove from office any member nominated to the Governing Body / Executive Committee at any time and shall have the right to fill the vacancy. The ex-officio members shall hold office as member during their tenure of appointment in their office.
Termination of ex-officio Membership	8	When a person becomes an ex-officio member of the Society by virtue of the office or appointment, which he/she holds, his/her membership of the Society shall stand terminated when he/she ceases to hold that office or appointment.
Restrictions on the activity of the Society or its Authority	9	The Society or any of its authority shall not be competent to appoint any person, or lease, or in any way transfer the right, title or possession of any asset such as land/premises/capital asset, any office or building, forest etc of Bihar Ecotourism Development Society without the prior sanction of the Government. However, the Society can engage contractual employees and undertake or authorize any civil construction or use its premises following guidelines of the Environment, Forest & Climate Change Department, Government of Bihar and guidelines issued by other competent authorities.
Power/Function of officeBearers	10	
	A	Chairperson and Vice-Chairperson of Governing Body (GB) (i) The Chairperson, of the Governing Body shall preside over and conduct the meetings of the Governing Body. In the absence of the Chairperson, the Vice-Chairperson of the GB will act /preside over when necessary. (ii) The Chairperson of the Governing Body shall have overall powers of supervision, direction and control over all affairs of the Society and functioning of office bearers. (iii) The Chairperson of the Governing Body may invite such persons other than the members of the Governing Body as special invitees to the meetings of the Governing Body as he/she thinks proper for specialized inputs and expertise.
	B	Chairperson and Vice-Chairperson of Executive Committee (EC) (i) For Executive Committee, the Chairperson, EC, and in his/

		her absence the Vice-Chairperson of the EC will preside over the meetings. C Member Secretary of Governing Body (i) Will convene the meetings of the Governing Body and record the minute of the proceedings. D Secretary of the Executive Committee (i) Chief Executive Officer of the society shall act as the Secretary of the Society. (ii) Will exercise and discharge such other duties as may be delegated to the Secretary by the Society. E The Chief Executive Officer: (i) There shall be a Chief Executive Officer for the successful conduct of the activities of the Society with the help of approved setup. All executive and financial power of the Society shall vest in its Chief Executive Officer of the society who shall be responsible for planning, implementation and monitoring of activities as would be decided by the Society. He will remain in overall charge of funds of the Society and open and operate the Society's accounts in the banks through Project Director. (ii) The Chief Executive Officer shall be appointed by the State Government on deputation. (iii) The Chief Executive Officer of the Society shall be an officer of Indian Forest Service (IFS) of Bihar Cadre, not below the rank of the Chief Conservator of Forests. F Project Director: (i) There shall be a Project Director to assist the Chief Executive Officer of the society to successful conduct of the administrative and financial activities of the Society. (ii) The Project Director shall be appointed by the State Government on deputation. (iii) The Project Director shall be an officer of Indian Forest Service (IFS) of Bihar Cadre not below the rank of the Conservator of Forests. G Project Officers: (i) The Divisional Forest Officers of the respective divisions will act as a Project Officer for all works of the society at division level.
Power and Function of Governing Body and Executive Committee	11 (a)	The Governing Body shall exercise all such powers as are got by the Act or by these bye-laws required to be exercised by the Society at the meeting of Governing Body. Following will be included in the functions of the Governing Body: (i) Overall policy guidance and strategic direction of programmes implemented by the Society, (ii) To approve and sanction the Annual Plan, Budget and Audited Accounts, (iii) To make, alter and amend the objectives, rules and regulation of the society, constitute committees from time to time as and when considered necessary for effective execution of the programmes and schemes,

		(iv) To delegate administrative and financial powers and functions to the Officers, employees, committees and consultants of the Society, (v) To execute such responsibilities and such duties which the state government assigns it from time to time. (vi) Any unresolved queries raised from the Executive Committee will be taken up with the Governing Body for the resolution. (b) Subject to the general control and supervision of the Governing Body and the restrictions imposed under the bye-laws, the Executive Committee shall have the following powers and functions, namely: (i) to manage properties including fund of the Society, (ii) to raise funds for the society by receiving fees, gifts and donations etc, (iii) to receive any movable and immovable property for and on behalf of the Society, (iv) to enter into agreement for and on behalf of the Society, (v) to defend legal proceedings against the Society, (vi) to sell, transfer or otherwise dispose of any movable property of the Society with the prior approval of Governing Body, (vii) to ask for levying such fees & charges to meet out objectives of the society as well as to make recovery for the services (as prescribed) provided by the society. (viii) to engage and employ persons/ technical support/ consultants/ organizations for rendering services under approval of Governing body. (ix) to undertake works of capital nature as per the delegation given by the Governing Body, (x) to perform all such acts and do all such things as may be necessary for proper management of the affairs and business of the Society, (xi) to institute, conduct, compound or abandon any legal proceedings by or against the society or its officers or otherwise concerning the officers of the society and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any debts due and of any claims or demands by or against the Society and to refer any difference to arbitration and observe and perform any award made thereon, (xii) to issue guidelines and directions as may be necessary for implementation of programmes, (xiii) to critically examine and to pass the annual/quarterly work programme of the Society, action plans and project proposals.
Power and Functions of the Chief Executive Officer of the Society	12 (a)	The Chief Executive Officer of Society will also work as the Secretary of the Society. He will administer activities of the society with the help of Project Director. He will prepare and present the Annual Action Plan before the Executive Committee. Those components of the Action Plan which are sanctioned by

		the Executive Committee, shall be got approved in the next meeting of the Governing Body. (b) Chief Executive Officer shall exercise all the powers delegated to him by the Governing Body and the Executive Committee. All decisions, instructions and orders of the Governing Body and Executive Committee shall be carried out by the Chief Executive Officer of the Society. He shall receive and make all correspondences for and on behalf of the Society. He will receive all contributions/ grants, gifts, donations or other funds meant for the Society and credit the same into Society's account and will issue proper receipts for the same. (c) The Chief Executive Officer shall have control and supervision of all resources, assets, properties and estates of the Society. (d) Chief Executive Officer shall execute all the works for the development and management of the eco-tourism sites with the help of Project Director. He will approve the withdrawal of money and other financial transactions from account of the Society as proposed by the Project Director. (e) It shall be the duty of the Chief Executive Officer to carry out the works, administration and management of the Society in conformity with the aims and objectives and rules of the Society. (f) He shall submit Annual Administration Report on the affairs, financial position and budget of the Society to the Governing Body and the Executive Committee. He shall file with the Registrar of Societies, documents required under Section 4 of the Act as amended from time to time. (g) All the above works of the Chief Executive Officer of the society will be carried out with the help of Project Director.
Power and Functions of the Project Director	13	Project Director will aid and assist the Chief Executive Officer of the Society for carrying out all administrative, Financial and other works as assigned to him by the Chief Executive Officer and Executive Committee of the society. (a) All contracts on behalf of the Society shall be signed by Project Director with the consent/approval of Chief Executive Officer. (b) The Project Director shall arrange to comply with the requisite statutory returns and statements and periodical accounts. The Project Director shall prepare Annual Administration Report on the affairs, financial position and budget of the Society to be produce before the Governing Body and the Executive Committee. (c) The Project Director shall represent the Society, and act on its behalf and instead of it, in all judicial, quasi-judicial proceedings and matters and shall have powers to engage advocate(s) to represent him and the Society in any proceedings. He may sue or be sued on behalf of the society. (d) The Project Director shall present for inspection the books of accounts and records of the Society as required under the financial rules. (e) All contracts, agreements and other instruments on behalf of the Society shall be executed by Project Director with the

		consent/approval of Chief Executive Officer.
	(f)	The Project Director shall supervise implementation of all the works in the field and will submit the supervision report to the Chief Executive Officer.
	(g)	Any other work delegated/assigned by Chief Executive Officer.
Power and Functions of the Project Officers	14	
	(a)	The Divisional Forest Officers of the respective divisions will act as a Project Officer for all works of the society at division level.
	(b)	The Project Officer shall be responsible for the execution of the all the works in his jurisdiction through the field units of Forest Department as per the established rules and procedures. He will monitor, supervise, manage and maintain of all the works assigned by the Chief Executive Officer.
	(c)	The Project Officer shall present for inspection the books of accounts/ records and submit the utilisation report of the fund as required under the financial norms.
	(d)	Any other work delegated/assigned by Chief Executive Officer.
Meeting of the Society	15	
	(a)	The Governing Body shall meet at least twice a year. The Executive Committee shall meet at least once in 3 (three months).
	(b)	The first meeting of the Governing Body for a financial year shall be held at a date not later than 30th June where among other business of the Society, the following shall be disposed of, namely: (i) Consideration and approval of the Annual Report of the activities of the Society for the preceding year together with the audited copy of the balance sheet for the said year, (ii) Income and expenditure, receipt and payment accounts and the Audit Report relating to the previous year, and (iii) Appointment of Auditors for the current year.
	(c)	The meeting of the Governing Body and Executive Committee of the Society shall be held at such date and time as may be fixed by the Secretary in consultation with the concerned Chairperson.
	(d)	At least seven days notice shall be given for convening a meeting. An extraordinary meeting may, however, be called at a shorter notice. Delivery of notice through post, email or any other digital medium would be construed as service of notice.
	(e)	Every meeting shall be presided over by the Chairperson and in his/her absence the Vice-Chairperson of the Governing Body shall preside, with the consent of the Chairperson. Similarly, in case of Executive Committee meeting, the Chairperson and in his/her absence Vice-Chairperson of EC will preside over, with the consent of the Chairperson.
Quorum	16	A minimum one-third of the number of members would constitute the quorum for a meeting, provided that either the Chairperson or the Vice-Chairperson of the concerned Body is present at the meeting.

	(d)	The Society shall keep at its registered office proper Books of Accounts in which the following should be entered accurately: i) All sums of money received and source thereof and all sums of money spent by the society and the object or purpose for which such sums are expended, ii) The society's assets and liabilities.
Audit	21	The annual account of the Society shall be got audited by reputed firm of Chartered Accountants appointed by the Governing Body. It can be further audited by the Accountant General, Bihar, if required.
Directions of Central/State Government	22	The Society shall comply with such directions as may be issued to it from time to time by the Government of India or State Government. The Society shall furnish to the Government of India or State Government such reports, returns and other information as may be required by them from time to time.

External Evaluation	23	The State Government may conduct external evaluation of Society's performance as and when felt necessary through agencies as deemed appropriate.
Indemnity	24	Subject to the provisions of sections 10 and 11 of the Act, every member, employee and agent of the Society shall be indemnified against any cost, expense or liability incurred by him in defending any proceeding, whether civil or criminal, arising out of any act done in the discharge of official duty relating and relevant to the affairs of the Society.
Dissolution	25	(i) The dissolution of the Society shall be done in accordance with the provisions under Section 13 and 14 of the Societies Registration Act, 1860. (ii) If on dissolution, there shall remain after clearance of its debts and liabilities, any property, assets and funds of the Society whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the members of the Society or any of them, but it shall be transferred to the State Government in such a manner as Environment, Forest & Climate Change Department may determine.
Amendment	26	On recommendation of the Governing Body, the State Government may make, alter and amend the objectives, rules and regulation of Society from time to time as and when considered necessary for effective execution of the programmes and schemes by passing a resolution.

DECLARATION

We, the following members of the Governing Body of the Bihar Eco-Tourism Development Society, Bihar do hereby certify that the above is a correct copy of the Memorandum and the Bye-laws of the said Society and, further certify that, there is no other society in the same name and at the same place.

Additional Principal Chief
Conservator of Forest-cum-
Chief Wildlife Warden,
Bihar

PCCF & HoFF, Government
of Bihar, Patna

Additional Chief Secretary,
Environment, Forest and
ClimateChange Department,
Govt. of Bihar, Patna

Three other members of the Society

1. ACS/PS/Secretary, Finance Department, Govt of Bihar
2. ACS/PS/Secretary, Art and Culture Department, Govt of Bihar,
3. ACS/PS/Secretary, Tourism Department, Govt of Bihar,

Dated this day of, 2026

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 890-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>